

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 753 वी बैठक दिनांक 17/05/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य |
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य |
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य |
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य |
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य |
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव |

सभी सदस्यों द्वारा अक्षय महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्टों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

**1. Case no. 9069/2022 SIA/MP/MIN/463711/2024 Shri Shyam Gopal Saxena, General Manager, M/s NAVRATANMAL GUGALIA & SONS, Beside Mahakoshal Motors, Katay Ghat Road Katni (M.P.) Manadpura Lataite and Fire Clay Mine of 1.80 ha, Khasra No. 294, 296/2, 298/1, 299 located in Village Madanpura Tehsil Murwara, District Katni (M.P.) Application for E C Validity Extension.**

प्रकरण में सिया के पत्र क्रमांक 1674 दिनांक 23/09/22 के द्वारा लेटलाईट-20848 टीपीए हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। लीज अनुबंध दिनांक 19/12/23 अनुसार दिनांक 23/07/23 से दिनांक 22/07/53 तक लीज वैधता अवधि बढ़ाई गई है।

परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर संबंधित दस्तावेजों के साथ पूर्व में पत्र क्रमांक 1674 दिनांक 23/09/22 के द्वारा लेटलाईट-20848 टीपीए हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की वैधता अवधि बढाये जाने हेतु फार्म-6 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण समिति की दिनांक 17/05/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Shyam Gopal Saxena, G.M.online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रिएटिव इंनवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि खदान में कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और न ही उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता में कोई परिवर्तन किया गया है। अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।

**2. Case No. P2/590/24 Shri ASHOK GOENKA, Owner, R/O Station Road, Katni, District - Katni (M.P) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 2.85 ha. (70012 TPA) (Khasra No. 90 P) Village- Bhaganwara, Tehsil- Badwara, District- Katni (M.P) TOR**

प्रस्तावित **Dolomite** खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/202 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri ASHOK GOENKA, Owner, R/O Station Road, Katni, District - Katni (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	90 P (निजी-नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.85 hectare.
स्थल	Village- Bhaganwara, Tehsil- Badwara, District- Katni (M.P)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 4544-45 दिनांक 19/04/23 द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाइट-70012 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाइट-70012 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1815 दिनांक 21/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 10.85 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1815 दिनांक 21/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1815 दिनांक 21/12/23 अनुसार आवेदित क्षेत्र उत्तरी पूर्वी भाग बड़वारा से देवरी हटाई मार्ग से लगा हुआ है एवं 324 मीटर की दूरी पर नाला स्थिल है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भगनवारा जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनांक 04/12/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 2861 दिनांक 26/12/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलि कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No. P2/716/24 Shri VARUN BIHARILAL PARASRAMPURIA, DIRECTOR, M/s ARJUN NIRMAN INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED, D-2 VAISHALI NAGAR DAMOH (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.0 ha. Boulder-5000, Gitti– 10,000 cum and M-sand – 35,000 cum) (Khasra No. 5) Village – Pipriya Ghanshyam, Tehsil - Batiyagarh, District- Damoh (M.P.) B-2**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अर्जुन निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स अर्जुन निर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा.लि. डी-02 वैशाली नगर, दमोह, जिला दमोह (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	5 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड) नोइयत-पहाड़	hectare. 4.00

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

स्थल	ग्राम पिपरिया घनश्याम, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 13285 / खनिज / उ.प. / न.क्र.02 / 2023, दिनांक 05 / 10 / 2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—50,000 घनमीटर/वर्ष (गिटटी —10,000, बोल्डर—5000, एम—सेंड —35,000) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—50,000 घनमीटर/वर्ष (गिटटी —10,000, बोल्डर—5000, एम—सेंड —35,000) है
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 28 दिनांक 05 / 01 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जिला दमोह के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 28 दिनांक 05 / 01 / 2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क, अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जिला दमोह के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 28 दिनांक 05 / 01 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत फतेहपुर जिला दमोह पत्र दिनांक 05 / 09 / 2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में पेड़ नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— नहीं है ।
	दक्षिण दिशा— नहीं है ।
	पूर्व दिशा— नहीं है ।
	पश्चिम दिशा— नहीं है ।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जिला दमोह के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 28 दिनांक 05 / 01 / 2024 अनुसार इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ लिया जाएगा
--	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – 50,000 मी.<sup>3</sup>/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट रथापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. खदान से सिर्फ बोल्डर का उत्पादन होगा । एम सेन्ड एवं कशर लीज एरिया के बाहर है । लीज एरिया में डम्पिंग नहीं की जाएगी ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 21,98,500/- एवं रिकरिंग राशि रु. 4,27,000/- प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital (inRs.)	Cost	Recurring Cost (in Rs.)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>				
<b>1(a)</b>	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000	
<b>1 (b)</b>	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000	
	Cost of water of Plantation 3500ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	1,57,500	
<b>2</b>	Garland Drain is proposed(802m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	1,00,000	10,000	
<b>3</b>	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 802	4,01,000	5,000	
<b>4</b>	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 3700 x Rs.200	8,40,000	20,000	
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100x Rs.500			
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (1000 X Rs. 50)			
<b>5</b>	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 500m x 5m)	2,50,000	10,000	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	@500/sqm		
<b>6</b>	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
<b>7</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/18 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
<b>8</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
<b>9</b>	Occupational Medical Check-up for 25 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	25,000
<b>10</b>	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
<b>11</b>	PPEs for other mining operations for 25 worker@ Rs. 1500/worker	37,500	5,000
<b>12</b>	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
<b>13</b>	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
<b>14</b>	Half yearly PUC certification for 8 trucks @1000/truck	-	8000
<b>15</b>	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	Nil
<b>16</b>	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine ) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
<b>17</b>	VT Trainings for 25 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	12,500
<b>18</b>	For reduction of Carbon emission – LED bulb distribution	50,000	Nil
	<b>Total</b>	<b>21,98,500</b>	<b>4,27,000</b>

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल पिपरिया घनश्याम में अधोसंरचना विकास हेतु उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ में भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000 /—

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

1	बैरियर जोन में	नीम, महुआ, करंज, चिरोल, सिस्सू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3700
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	शास. अंकुर योजना के तहत पिपरिया घनश्याम ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**4. Case No. P2/598/24 Shri Gagan Verma, JAIMAHAKALI STONE CRUSHER, Ward No 12 New Nuatn Nagar Colony, Behind the Nursery Khargone (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Quarry with a Production Capacity of STONE GITTI – 8000 m3Year having a lease area of 2.0 hectare, at Khasra No. -51/1/1/1 Village – Valka, Tehsil – Bhikangaon, District- Khargone (M.P.) B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक जय महाकाली स्टोन केशर, पार्टनर – गगन वर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

<b>परियोजना विवरण</b>	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	जय महाकाली स्टोन क्लेशर, पार्टनर – गगन वर्मा ग्राम वल्का, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	51 / 1 / 1 / 1 / 1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	hectare. 2.00
स्थल	ग्राम वल्का, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन (म.प्र.)	
क्लेशर प्लान्ट	क्लेशर प्लान्ट लीज में प्रस्तावित है।	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 6099 / खनिज / उ.प. / न.क.01 / 2023, दिनांक 23 / 05 / 2023 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–8,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 8,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1955 दिनांक 30 / 01 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1955 दिनांक 30 / 01 / 2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क, अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1955 दिनांक 30 / 01 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत वल्का जिला खरगोन के पत्र दिनांक 16 / 08 / 2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में पेड़ नहीं है।	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

क्षेत्र की स्थिति	लीज एरिया के अन्दर क्षेत्र है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा में 210 मीटर दूरी पर नाला एवं 455 मीटर दूरी पर पक्की रोड़ है । दक्षिण पश्चिम दिशा— रोड 455 मी. ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1956 दिनांक 30/01/2024 अनुसार इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ लिया जाएगा

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता — 8,000 मी.<sup>3</sup>
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्षेत्र प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18,18,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 3,55,000/- प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital (inRs.)	Cost	Recurring Cost (in Rs.)
<b>B. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>				
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000	
1 (b)	Cost of water of 4000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	1,80,000	
	Garland Drain is proposed (612m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	1,00,000	10,000	
2	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 612	3,06,000	5,000	
3	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000	
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1500 x Rs.200	4,35,000	20,000	
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 200x Rs.500			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (700 X Rs. 50)		
<b>5</b>	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 500m x 5m) @500/sqm	2,50,000	10,000
<b>6</b>	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
<b>7</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/20 - 40 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
<b>8</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
<b>9</b>	Occupational Medical Check-up for 18 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	18,000
<b>10</b>	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
<b>11</b>	PPEs for other mining operations for 18 worker@ Rs. 1500/worker	27,000	5,000
<b>12</b>	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
<b>13</b>	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
<b>14</b>	Half yearly PUC certification for 4 trucks @1000/truck	-	4000
<b>15</b>	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	5,000
<b>16</b>	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine ) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
<b>17</b>	VT Trainings for 18 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	9,000
<b>18</b>	Construction of wind breaking wall & other safety and pollution control measures for dust particles due to crusher	1,50,000	5000
<b>19</b>	For reduction of Carbon emission – LED bulb distribution	30,000	Nil
	<b>Total</b>	<b>18,18,000</b>	<b>3,55,000</b>

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल वल्का में 1 कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रिन्टर टेबल के साथ एवं दो अलमारी	60,000 /—

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, चिरोल, सिरसू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
3	शास. अंकुर योजना के तहत पिपरिया घनश्याम ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	700

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

5. **Case No. 9264/2022 M/s. Utkarsh Natural Resources, Shri FARHAN AZAM, Partner, SHUBHANGI SINGH, H-48, NISHAT COLONY, 74 BANGLO, BHOPAL Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.30 ha. (25650 cum per annum) (Khasra No. 89/2) Village - Bamladad, Tehsil - Ichhawar, District Sehore (M.P.) EIA**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **17/05/2024** को परियोजना प्रस्तावक **श्रीमति सुभांगी सिंह** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **FECCM CONSULTANCY PVT LTD. (RAHEESH PRASAD PATEL)** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज					
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स उत्कर्ष नेचुरल रिसोर्सेस, (प्रो.सुभांगी सिंह) पता—प्लाट नं. 3287, फर्स्ट फ्लोर, गोयल होम्स, सेक्टर-बी, शाहपुरा, जिला—भोपाल, म.प्र.						
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं 89/2 (शासकीय भूमि)				hectare. <b>3.30 HA</b>		
स्थल	Village	Tehsil	District	State			
	<b>BAMLADAR</b>	<b>ICHHAWAR</b>	<b>SEHORE</b>	<b>MP</b>			
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 1470-74 / खनिज / उ0प0 / न.क्रमांक-14 / 2019, दिनांक 21 / 01 / 2021 एवं पत्र क्रमांक 4777-81 / खनिज / उ0प0 / न.क्रमांक-14 / 2019, दिनांक 19 / 03 / 2021 के द्वारा स्वीकृत ।						
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।						
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।						
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया <b>NA</b> के पत्र क्रमांक <b>NA</b> दिनांक <b>NA</b> के द्वारा पत्थर— गिट्टी पत्थर (यांत्रिक क्रिया के द्वारा गिट्टी निर्माण) हेतु उत्पादन क्षमता <b>25625</b> घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।						
टॉर	सेक की ...586..वीं बैठक दिनांक .....21/07/2022..... को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक ...739... दिनांक ....29/07/2022..... के द्वारा प्रो.सुभांगी सिंह को खसरा नं 89/2 ग्राम <b>BAMLADAR</b> तहसील <b>BAMLADAR</b> जिला <b>SEHORE</b> म.प्र. के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा <b>EIA</b> रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।						
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— <b>25625</b> घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार <b>25625</b> घनमीटर/वर्ष है।						
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला सीहोर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 1793 / खनिज / 2021, रीवा, दिनांक 11 / 02 / 2021 के अनुसार उक्त स्वीकृत क्षेत्र से 500 मी. के अंदर ग्राम बामलादढ़, तहसीलदार इच्छाबर, जिला सिहोर में 03 उत्खनिपट्टा खनिज पत्थर हेतु स्वीकृत है । जिनका विवरण निम्नानुसार है:						
	आशुतोष तिवारी	बामलादढ़	89 / 1	4.00 हे.	पत्थर	स्वीकृत	
	हेमलता कोठारी	बामलादढ़	88 / 1	2.00 हे.	पत्थर	सैद्धांतिक स्वीकृति	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	सौरभ शर्मा	बामलादढ़	89 / 1	2.00 हे.	पत्थर	सीमांकन कार्यवाही प्रचलित	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	<b>कोई आपत्ति नहीं ।</b> कार्यालय वनमण्डल सीहोर के पत्र क्रमांक 1875 रीवा दिनांक 21/08/2018 के अनुसार ।						
तहसीलदार की अनापत्ति	<b>कोई आपत्ति नहीं ।</b> कार्यालय तहसीलदार इच्छाबर जिला सीहोर के पत्र क्रमांक 768 /रीडर-1/2018 दिनांक 14/08/2018 के अनुसार ।						
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	<b>कोई आपत्ति नहीं ।</b> ग्राम पंचायत बलोड़िया, जनपद पंचायत इच्छावर, जिला सीहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 पत्र क्रमांक 18 दिनांक 19/06/2018 एवं प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है एवं प्रस्ताव सर्वसम्मिति से पारित किया गया ।						
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है अथवा लीज के अंदर रहेगा ।						
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण 07</li> <li>यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण : पलाश</li> <li>काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 70</li> <li>यदि पेड़ों का गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण 0.580 है. में</li> </ul>						
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्तर दिशा— कच्चा रास्ता 25 मी. दूरी पर । गूगल मेप संलग्न है ।</p> <p>दक्षिण दिशा— 150 छोटा पोन्ड स्थिल है। गूगल मेप संलग्न है ।</p> <p>पूर्व दिशा— 302 मी. पर बस्ती है गूगल मेप संलग्न है ।</p> <p>पश्चिम दिशा— 3 पत्थर खदान स्थिल है । गूगल मेप संलग्न है ।</p>						
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण कार्यालय राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. के पत्र क्रं.						

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

में स्थिति	531/सिया/2022 दिनांक 23/05/2022 द्वारा जारी सिहार जिले की प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पेज क्रं. 65 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान खसरा न0 <b>89/2</b> ग्राम <b>BAMLADAR</b> तहसील <b>BAMLADAR</b> जिला <b>SEHORE</b> म.प्र. जनसुनवाई दिनांक <b>26/09/2023</b> दिन मंगलवार को संपन्न हुई। लोकसुनवाई की आम सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर एवं पत्रिका अखबार में दिनांक <b>17/08/2023</b> को म.प्र. प्रदूषण बोर्ड द्वारा प्रकाशित करवाया गया। लोक सुनवाई का कार्यवाही जिला कलेक्टर सीहोर के प्रतिनिधि एसडीएम, इच्छावर श्री जमील खान की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया गया। लोक सुनवाई में कुल 06 आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर— गिट्टी पत्थर 25650 धन मीटर/वर्ष।
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.00 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.28 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1	Overhead Sprinkle facility with Solar pump and Water tanker @Rs 200/day (PP owned tanker) for 300 days.	1,00,000	20,000
2	Garland Drain (2.0 m Wide & 1.5 m Deep & 660m Long) and 3- Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern.	90,000	5,000
3	Approach Road Maintenance, Sign Boards, Development of T-Point etc (650m. in length x 6m in width)	140,000	10,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

4	Monitoring twice a year . (AAQM @20000/yr, Water@10000/yr, Noise@10000/yr )	NIL	40,000
5	<b>Plantation ( 4000 plants/year will be planted)</b>		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @ 100 Rs./tree 800 no's)	80,000	5000
	B. Plant distribute to Villagers. (No. 2800 X40)	112000	Nil
	C. Outside the Lease Area ( along approach road and village area) @200 Rs./tree (400 no's)	80,000	8000
6	Wire fence 740m. @Rs. 200/m.	148000	20000
7	PUC certification of vehicles (07 @ Rs 500 per dumper)	-	3500
8	Drinking Water Facility and rest shelter (25x 15 ft.) with solar light	80,000	5,000
9	Toilets 2 nos. 12500 x 2	25,000	5,000
10	Occupational health checkup for 10 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 10	20000	2,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 12x 2000)	24,000	5,000
12	Wind breaking wall and Other equipment's for Dust control including safety arrangement.	150000	5000

**Emergency Rescue Plan**

14	Fire Fighting Equipments (2 Nos.) @ 10000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	2,000
15	Safety signage and warning boards like red flags, cones etc.	5,000	2,000

**Solid Waste Management**

16	a) Bins 4 Nos @ Rs 1000 each	4,000	5,000
	b) Pit and Composting	5000	
	c) Transport of Dry Waste	5,000	
17	Development of grazing land	5000	2500

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

18	Mitigation measures of Carbon footprint & distribution of LED Bulb. <b>Total</b>	25000 10,00,000	- <b>1,28,000</b>
----	---	--------------------	----------------------

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1,40,000/- में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियों	राशि (रु.में)
● लीज धारक के द्वारा ग्राम बमलादढ़ के ग्राम वासियों एवं आस पास के गांव की महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम 15 सिलाई मशीन का वितरण एवं पंजीकृत परिशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण किया जायेगा, (ग्राम वासियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु)	1,40,000
कुल	1,40,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में (7.5 x 400m)	चिरोल, नीम, खमेर, जंगल जलेबी एवं बांश	1700
2	परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण (पौधों की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	कदम, नीम, करंज, जामुन, एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय, ट्री—गार्ड के साथ	500
3	ग्राम बमलादढ़ स्कूल, पंचायत एवं आगनवाड़ी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल एवं अशोक	300
4	ग्राम बमलादढ़ एवं लीला खेड़ी के ग्राम वासियों में वितरण	आम, मुनगा, कटहल नीबू एवं नीम	1500
कुल वृक्षारोपण			4000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर स्थानीय बीज

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**6. Case No. P2/645/24 Uma Kumari, 189, Dilli Darwaja Rajghat Road, Chanderi, Ashok Nagar (M. P.)- 473446, Prior Environment Clearance for CHHAPRA STONE QUARRY Chhapra Stone mine for making gitti through Crusher of 1.40 Hectare Area, Khasra No. - 193/2/7, 193/2/9 in Village – Chhapra, Tehsil – Chanderi & District – Ashok Nagar (M.P.) (Maximum Production – 29,106 Cubic Meter), B2 Case.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति उमा चौहान पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमति उमा चौहान पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	193/2/7, 193/2/9 (निजी – नॉन फॉरेस्ट लेंड)	hectare. 1.400
स्थल	ग्राम छपरा, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 690/खनिज/उ.प.30/2018, दिनांक 03/10/2018 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डि कार्यालय, जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, (डिया) जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 109/डिया/2018, दिनांक 26/09/2018 के द्वारा पत्थर—29,106 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—29,106 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 29,106 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 707 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 707 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क, अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अशोकनगर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 707 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डुंगासरा जिला अशोक नगर के पत्र दिनांक 02/08/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में पेड़ नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— रोड 25 मी.। दक्षिण दिशा— आबादी 411 मी.। पूर्व दिशा— नाला 67 मी.। पश्चिम दिशा— नहीं हैं।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—31 के सरल क्रमांक—50 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि लीज क्षेत्र से पक्का रोड 25 मीटर पर है एवं अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः संशोधित अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने बावत् निवेदन किया गया है।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

7. **Case No. P2/614/24 M/s Afcons Infrastructure Limited, Afcon House, 16 Shah Industrial State, Veera Desai Road, Azad Nagar, Andheri West, Mumbai (MH) 400053. Prior Environment Clearance for Singarpur Ryt Crusher Stone Deposit is located at Khasra No. - 30, 31, Village-Singarpur Ryt, Tehsil- Dindori, Dist.- Dindori (M.P.). The 3.980 ha deposit area with capacity of Stone- 90,000 m<sup>3</sup> per year. FoR - Temporary Permit (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये पत्थर उत्खनन से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुर शर्मा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	निजी	3.980Ha.

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

स्थल	Village Singarpur Ryt, Tehsil Dindori, District Dindori (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के पत्र क्रमांक .564 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान /डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	ब्लास्टिंग	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सिंगारपुर ऐयत दिनांक 20.02.24	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 90,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 661 दिनांक 12.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, इस प्रकार कुल रकमा 3.980 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 661 दिनांक 12.02.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 661 दिनांक 12.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण /पक्का रास्ता नहीं है । कच्चा रास्ता 130 मी. /नाला 58 मी. है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घुसिया मॉल जिला डिंडोरी के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 03.10.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	लीज के बाहर
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>● लीज में स्थिल पेड़ों की संख्या 01</li> <li>● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 0</li> <li>● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 0</li> <li>● यदि पेड़ों का या अन्य संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण 0 है. में</li> </ul>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्तर दिशा— नाला 58 मी.</p> <p>दक्षिण दिशा— नर्मदा नदी 700 मी.</p> <p>पूर्व दिशा— कच्चा रास्ता 130 मी.</p> <p>पश्चिम दिशा— नाला 138 मी.</p>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्याय नं.-13 के सरल क्रमांक-20 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी :-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – **90,000 m3 per year**
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईंन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 25.35 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.06 लाख प्रति वर्ष।

S.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees )
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1	Tanker water sprinkler facility for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation. Hiring of water tanker (4000L) @ Rs.400/Day (PP owned tanker) for 300 days – Rs. 120000/-	-	1,20,000
2	Garland Drain (1.5m wise, 2m deep, 931m Long) 1 settling tank (4m wide, 10m Long, 4m Deep)	70,000	75,000
2 A	Wire Fencing Around Lease Area (931m * 500rs/m)	4,65,500	40,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (1000m)	5,00,000	50,000
4	Plantation within lease @ Rs. 200/plant Total plantation in Barrier zone 4000 x Rs.200 Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant. Total plantation outside the lease area 800 (800 X Rs.500)	12,00,000	1,20,000
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	-	40,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
7	Separate Toilets for Male and Female @25000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	50,000	5,000
8	Medical Check-up for 25 workers @500/worker (twice in a year)	-	12,500
9	First Aid Box & Fire fighting equipments @21000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	42,000	2000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

10	PPEs for other mining operations for 25 worker@ Rs. 1500/worker	37,500	-
11	02 Shelter rooms for labors (20*20)= 400 Square feet	1,00,000	3000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	5000	2000
13	Vocational Training of Workers (25 nos)	-	25,000
14	Half yearly PUC certification for 10 trucks @1000/truck	-	10,000
15	Signage & Warning Boards	5,000	-
16	For reduction of the carbon emission distribution of LED bulb to the nearby villagers	50,000	-
	<b>Total</b>	<b>25,35,000</b>	<b>5,06,500</b>

#### CER Table

आगामी 5 वर्ष तक	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
1	सिंगारपुर रैयत माध्यमिक शाला में 02 कंप्यूटर सिस्टम एवं 04 सीलिंग फैन, 01 वाटर फ़िल्टर	1,20,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	3000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, करंज, चिरोल एवं अन्य प्रजातियाँ	300
3.	गाँव वितरण	आम, कटहल, अचार, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ।	1500

## 753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 मई 2024

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**8. Case No. P2/607/24 Shri Ajit Singh, Partner, M/s LAKSHAY MINERALS, Plot no. 225, Industrial area, Amkuhi, Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 4.31 ha. (Dolomite-105334 TPA cum per annum) (Khasra No. 679,680,684,694,695,752/673) Village- Bhadawar, Tehsil- Bdawara, District- Katni (MP) TOR**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 17.03.24को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Ajit Singh, Partner, M/s LAKSHAY MINERALS, Plot no. 225, Industrial area, Amkuhi, Katni (M.P.)	
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	679,680,684,694,695,752/673 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.31 hectare.
स्थल	Village- Bhadawar, Tehsil- Bdawara, District- Katni (MP)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 8431 दिनांक 04/07/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite-105334 TPA & Soil- 27300 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन्	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता क्वसवउपजम.105334 ज्ञ। है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 170 दिनांक 17/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 19.767 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 170 दिनांक 17/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 170 दिनांक 17/01/24 अनुसार आवेदित क्षेत्र से पूर्वी दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर तालाब बना है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थिल नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—1 दिनांक 22/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	चूंकि प्रकरण बी—1 श्रेणी का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ने ईआईए रिपोर्ट के साथ अनुमोदित डीएसआर प्रस्तुत करने का कथन दिया है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशसित किया जाये।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

**9. Case No. 9297/2022 Vandana Tiwari, Owner, Daddadham Colony, District-Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum Mine in an area of 4.00 ha.**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**(26616.8 cum per annum) (Khasra No. 350 P) Village- Saraswahi, Tehsil- Murwara, District - Katni, M.P. EIA**

प्रस्तावित मुरुम खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 17 / 05 / 2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति वंदना तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Vandana Tiwari R/o- Daddadham Colony, District- Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	350 (शासकीय—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village-Saraswahi, Tehsil-Murwara, District-Katni (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 7453 दिनांक 16 / 03 / 2022 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत मार्झनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष— 05 / 07 / 2022, क्षमता— 26,616.8 घनमीटर / वर्ष, उत्पादित मात्रा—26,616.8 घनमीटर / वर्ष,	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी- 1 ।	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार — स्वाति नामदेव, स्थल का नाम— सरसवाही, दिनांक— 10 / 10 / 2023	
टॉर	सेक की 597वीं बैठक दिनांक 06 / 10 / 2022 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2032 दिनांक 09 / 11 / 2022 के द्वारा के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम —26,616.8 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 26,616.8 घनमीटर / वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्र 1933 दिनांक 22 / 08 / 2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 08 है. होता है, अतः प्रकरण बी- 1 श्रेणी का है ।	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र दिनांक 23/01/2021 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र दिनांक 23/01/2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सरसवाही जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 02/06/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	● लीज क्षेत्र में पेड़ स्थिल नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— कच्चा रोड लगभग 322 मीटर पर स्थिल है। एवं बरसाती नाला लगभग 54 मीटर पर है।  दक्षिण दिशा— लगभग 84 मीटर में मुर्गीपालन फॉम स्थिल है। जिससे 16 मीटर का सेटबेक दिया गया है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/03/2024
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 62 के सरल क्रमांक- 22 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – **26,616.8** घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.69. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.18 लाख प्रति वर्ष

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	4,05,000
1(b)	Water requirement- 9.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (650m in length × 6m in width)	1,00,000	50,000
3	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation within lease boundary. @ Rs. 200/plant.	(780X200= ₹ 1,56,000)	
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 100/plant.	(3500X100 = ₹ 3,50,000)	7,14,000
	c) Plantation along the Approach Road @ Rs.400/plant (including tree guard)	(520X 400 = ₹ 2,08,000)	5,000
4	Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 1020 m Long)  Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.  Settling Tank is 1 of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) .	1,50,000	5,000
5	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (11Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	11,000
6	Wire fencing (1000 m) @200 rupees/meter.	2,00,000	5,000
7	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)  Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution		30,000 30,000 20,000 20,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		
8	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10 labour @ Rs. 10,000/cooler).	20,000	4,000
9	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
10	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
11	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15Labors -15 × 500 × 2)	-	15,000
12	First Aid Box & Fire fighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
13	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15× 1500)	23,000	3,000
14	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
15	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
17	For Carbon containment adaptation of full grown trees for 10 Years (960 Plants x 100 Rs / Plant)	96,000	96,000
	TOTAL	15,44,000/-	7,17,000/-

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी प्राथमिक स्वास्थ्या केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**Plantation in other area.**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	780
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	520
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3500
योग			4800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**10. Case No. P2/646/24 Shri Chandrabhan, R/o- Near Mahuar Bridge Karera, Tehsil-Karera, District-Shivpuri, (M.P.)- 473551, Prior Environment Clearance for Sillarpur Stone Quarry with a Production Capacity of 5500 Cubic Meter / Year Gitti having a lease area of 1.72 Ha., Previously EC was issued by DEIAA Shivpuri at Khasra No. - 293, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 & 307, Village - Sillarpur, Tehsil - Karera, District - Shivpuri (M.P.) B2Case.**

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Chandrabhan, Leessee एवं

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीरामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपरिथित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री चन्द्रभान सिंह सिसौदिया पुत्र होतम सिंह, निवासी करेरा, जिला शिवपुरी (म0प्र0)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. 293,300,301,302,303,304,305,306 एवं 307 (निजी भूमि – नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.72 Hectare.
स्थल	Village-Sillarpur, Tehsil -Karera, District- Shivpuri (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 1425-1428 / पत्थर उत्खनि पट्टा / न.क्र. 51 / 17 / 18 दिनांक 26 / 06 / 2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है एवं खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा।	
प्रकरण की स्थिति	New प्रकरण डिया से सिया बी-2 श्रेणी ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 1984-4 / खनिज / (DEIAA) 15716/18 शिवपुरी, दिनांक 05 / 09 / 2018 के द्वारा पत्थर-5,657 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-5,500 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 5,500 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1364 / 3-6 / खनि / 51 / 17 / 2023 शिवपुरी, दिनांक 23 / 11 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं हैं, इस प्रकार कुल रकबा 1.72 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1364 / 3-6 / खनि / 51 / 17 / 2023 शिवपुरी, दिनांक 23 / 11 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में आवेदित क्षेत्र सौन चिडिया अभ्यारण करेरा की सीमा से 5.6 कि.मि. की दूरी पर स्थित है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1364 / 3-6 / खनि / 51 / 17 / 2023 शिवपुरी, दिनांक 23 / 11 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिल्लापुर जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 08 दिनांक 02/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र के बाहर स्थिल है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 03 काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 30
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में 146 मीटर पर कच्चा रोड स्थिल है । उत्तर दिशा में 98 मीटर पर कुछ मकान स्थिल है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार मानव बसाहट से 100 मीटर तक खनन कार्य नहीं किया जावेगा एवं अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा एवं खदान क्षेत्र में ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी । दक्षिण दिशा— दक्षिण दिशा में 205 मीटर पर मानव बसाहट स्थिल है पूर्व दिशा— 390 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में पक्का रोड स्थिल है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया पक्की सड़क की तरफ सघन वृक्षारोपण किया जावेगा ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण शिवपुरी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-17 के सरल क्रमांक-27 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म-2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 35 प्रतिशत पायी गई ।

## 753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 मई 2024

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। 7.5 मीटर बैरियर जोन में 60 पौधे लगाये गये हैं।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 5 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 60 पेड़ लगाये गये एवं 100 पौधे ग्रामीणों को वितरित किये गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता—पत्थर—5,500 घनमीटर / वर्ष
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्ठिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्थनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.13 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.78 लाख प्रति वर्ष।

No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)
A.	<u>For environment Protection</u>	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

		Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 750 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	140,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approx. 130m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	39,000	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 2080 + 30 Compensation trees )  A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 <sup>st</sup> year - up to ~1,130 m periphery of Mine lease boundary and non-mining area (1130nos.)	169,500	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1 <sup>st</sup> year- 100 nos. on evacuation route up to 130m both side (@ Rs. 500/tree) - 2 <sup>nd</sup> year- 50 nos. at govt middle school@ Rs 150 (as boundary wall is present there) 1 <sup>st</sup> year- 820 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 41,000	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
6	Total Wire Fencing = (~1130 m long) - {35% completed=400 m} (65% Remaining to be installed = 730 m @500 Rs./m)	40000 365000	10000
	Cost for the Crusher pollution control equipment	1,50,000	20,000
7	PUC certification of vehicles (2 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

<b>Labor Welfare</b>				
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000	
9	Toilets 1 no. (maintenance of existing)	5,000	2,000	
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000	
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers.	16,000	5,000	
<b>Emergency Rescue Plan</b>				
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 10000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	12,000	5,000	
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	1,000	
<b>Solid Waste Management</b>				
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000		
16	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area	20,000		
17	Distribution of the Led bulb(100nos) to the villagers for the carbon sequestration. (@Rs 100/bulb)	10,000		
18	Cost for the mine closure plan at the end of mine life except the cost of wire fence given in point no. 6.	20,000		
	<b>Total</b>	<b>11,13,00 0</b>	<b>1,78,000</b>	

6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
---------------------------------------	---------------

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

ग्राम सिलारपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उल्लेखित राशि जमा कर दी जावेगी	<b>40,000/-</b>
<b>कुल</b>	<b>40000 /-</b>

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2080 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	बैरियर जोन क्षेत्र के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:— आवलाँ, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगल जलेबी, आदि	1130
1	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:— नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	50
2	ग्राम शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:— पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
3	पास के गाव के लोगों को एवं आस पास में रिथल खेतों के किसानों को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:— आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	820

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**11. Case No. 8275/2021 Shri RAM PRAJAPAT, Owner, 230, Bhagat ki Kothi, Krishn Mandir Gali Jodhpur, Rajasthan. Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 4.00 ha. (1980 cum per annum) (Khasra No. 1640/1) Village Chhathi Bamhori Tehsil Chandla District Chhatarpur (M.P.) EIA**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री. रामकिशोर प्रजापत, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार कृष्णचन्द्र पांडा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री. रामकिशोर प्रजापत निवास— 230 भगत की कोठी कृष्ण मंदिर गली जोधपुर (राजस्थान)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नंबर 1640/1, (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम—छठी बम्हौरी, तहसील— चंदला, जिला छतरपुर, राज्य मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 8819-28 दिनांक 03/05/17 द्वारा स्वीकृत	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।	
टॉर	सेक की 488वीं बैठक दिनांक 10/03/21 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 924 दिनांक 24/05/21 के द्वारा Granite- 1980 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Granite-1980 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 1980 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 893 दिनांक 28/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 23.875 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 893 दिनांक 28/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 893 दिनांक 28/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छठी बम्होरी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	● लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण ००
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— खदान के उत्तर— पश्चिम दिशा में 105 मीटर पर खेत लगे है  दक्षिण दिशा— दक्षिण पश्चिम दिशा में नाला लगभग 289 मी एवं दक्षिण पूर्व दिशा में तालाब लगभग 400 मी परिलक्षित हो रही है खदान के दक्षिण— पूर्व दिशा में 154 मीटर पर खेत लगे है  पूर्व दिशा— खदान के दक्षिण—पूर्व दिशा में 160 मीटर पर वाटर बाड़ी एवं ६३५ मीटर पर आवादी क्षेत्र परिलक्षित हो रही है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-198 के सरल क्रमांक-64 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 1980घनमीटर/वर्ष है।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.32 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.29 लाख प्रति वर्ष।

<b><u>ANNUAL EMP COST</u></b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul road and Green Belt.	0	1,99,200
	Cost for 300 days for 6.64 KLD @5 KL tanker capacity, Rupees 500/- per tanker		
1(b)	Cost of Water tanker (3000 -litre capacity) = 50,000/-	50,000	54,000
	Cost for (drinking and domestic use) 300 days for 1.5 KLD @ 3 KL tanker capacity, Rupees 600/- per tanker		
1(c)	Discharge of waste water 1.2 KLD @ 300 Working days /Capacity of Tanker (10 KLD) @ Rupees 2000 per tanker	0	72,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1280, Width 5.0m) @ 400 Rs. /Meter.	5,12,000	51,200
3	1 Settling Tank [6m (W) x 10m (L) 4m (D)] & Garland drain (751 x 2 x 1.5)	1,00,000	10,000
4	Monitoring (Air, Water & Noise)	0	40,000
5	Grazing Land development (After getting environmental clearance, space will be given for grazing land as per the permission or suggestion of the Gram Panchayat or local body (this process will be done within 1 year of the start of mining. Native palatable Grasses for development of grazing land: Crysopogon, fulvus, Themeda triandra, Kandi etc.)	2,00,000	60,000
6	Wire Fence 812 m @500/m	4,06,000	35,550
<b><u>Plantation Scheme</u></b>			
Plantation in consultation with DFO & Gram Panchayat and conversion of Grazing land as far as possible.			
A	In Barrier Zone = 1200 No. of plant@20/-per plant.	12,000	12,798
B	Both sides of Approach Road= 600 No. of plants @ avg/- 100 per plant.	60,000	
C	3000 Nos. of saplings will be distributed to the nearby villager's @Rs 20 /tree.	60,000	0
<b><u>Labour Welfare</u></b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 10 feet)	20,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female (2 for Each)	50,000	20,000
9	Occupational health Survey 35 labour @ 500 Rs. /labour Rs. /twice per year @500 x 2 x 35	0	35,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle, reflective jackets etc.), 35 labor @ 1200 Rs.	42,000	4,200

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

11	First Aid Kits, Number of kits 3	5,000	1000
12	Fire Safety (2 nos.), @ 30,000	60,000	3,000
13	Cylinders for 35 workers under Ujjwala Yojana 1 cylinder per worker*1250/- per cylinder	43,750	Nil
<b>Solid Waste Management</b>			
14	Bins 2 Nos.	1,500	4,000
15	Transport of Dry Waste	5,000	
16	Vehicle Maintenance +PUC Certification	0	25,000
17	Signage and Caution Board	5,000	1,000
<b>Total EMP cost</b>		<b>16,32,250</b>	<b>6,29,948</b>

3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा उत्तर- पश्चिम दिशा में 105 मीटर पर एवं दक्षिण- पूर्व दिशा में 154 मीटर पर खेत लगे हैं
7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय मध्यमिक विद्यालय छठी बम्होरी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	120000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, सीसम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय	1200

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय	600
3	ग्राम छठी बम्हौरी के ग्राम वासियों में पौधों का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू सीताफल एवं अमरुद	3000
कुल			4800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**12. Case No. P2/618/24 Shri SUNIL GUPTA, Lease Owner, 1874/4A R.T.O KE PEECHE, SHIVAJI NAGAR JHANSI (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.198 ha. (30]000 cum per annum) (Khasra No. 697/3/678) Village -Jijora, Tehsil[1]Orchha, District- Niwari, (M.P.) TOR**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SUNIL GUPTA, Lease Owner, 1874/4A R.T.O KE PEECHE, SHIVAJI NAGAR JHANSI (U.P.)	
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	697/3/678 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	1.198 hectare.
स्थल	Village -Jijora, Tehsil Orchha, District- Niwari, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के पत्र क्रमांक 496 दिनांक 05/10/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—30,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 589 दिनांक 19/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 15.748 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 589 दिनांक 19/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 589 दिनांक 19/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 20/07/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के पत्र क्रमांक 751 दिनांक 05/3/24 उक्त उत्थनिपट्टा को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशांसित किया जाये।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**13. Case No. P2/617/24 Shri SWAPNIL SINGH, lease owner, House No-114, Peptech City, District- Satna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.43 ha. (14,082 cum per annum) (Khasra No. 91/1/1/2) Village -khamhariya khurd, Tehsil-Nagod, District- Satna (M.P.) (DEIAA- re-appraisal) B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri SWAPNIL SINGH, ऑनलाईन के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SWAPNIL SINGH, lease owner, House No-114, Peptech City, District- Satna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	91/1/1/2 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड भू—स्वामी परियोजना प्रस्तावक स्वयं)	2.43 hectare.
स्थल	Village -khamhariya khurd, Tehsil-Nagod, District- (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1318 दिनांक 12/07/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Without Drilling and Blasting.	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सतना के पत्र 1979 दिनांक 17/07/18 के द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-14,082 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-14,082 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1319 दिनांक .12/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 11.565 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2. श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1319 दिनांक .12/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

अनापत्ति	1319 दिनांक .12/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छींदा जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 20/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-159 के सरल क्रमांक-70 पर दर्ज है ।

PP submitted in their applicationas that I would like to inform you that, as per DEIAA EC letter the production is 10,000 cum/year and as per scheme of mine closure plan the maximum production is 14,082 cum/year hence we have appling as new application for EC is being submitted for mining of mineral of minor mineral of mine lease (0-5HA.)-Form 2 as new application or for re-appraisal under ministry OM dated 28.04.2023 in parivesh portal 2.0 for environmental clearance. In view of the above, it is requested to you kindly consider our reply and proceed our case for grant of EC.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा ।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी । परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा ।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**14. Case No. P2/624/24 DIVYA SHUKLA, Owner, GM-2 FORTUNE GLORY E-8 EXTENTION BAWADIYA KALAN HUZUR TRILANGA BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.681 ha. (Stone – 16500 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No. 144, 145/2, 144, 145/3, 254/147, 147/4), Village – Katpon. Teshil – Shyampur, Distt. Sehore (M.P.) B-2**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति दिव्या शुक्ला एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए. जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Divya Shukla W/o Shri Arun Kumar Shukla, R/o-23,South Avenue E-8,Gulmohar,District-Bhopal(M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	144, 145/2, 144/145/3, 254/147, 147/4 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड)		1.681 hectare.
स्थल	Village-Katpon, Tehsil-Shyampur, District-Sehore (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के पत्र क्रमांक 19 दिनांक 06/04/2017 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष— 23/01/2023, क्षमता— 16,500 घनमीटर / वर्ष,		
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट, बी-2।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार की प्रतिनिधि— स्वाति नामदेव, स्थल का नाम— <u>कतपोन</u> दिनांक— 21/04/2024		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू)	डिया के पत्र क्रमांक 1800 दिनांक 09/11/2017 के द्वारा पत्थर— 15,704 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।		

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

(हो)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—16,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 16,500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 6719 दिनांक 27/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 3.681 है. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 6719 दिनांक 27/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 6719 दिनांक 27/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कतपोन जिला सीहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 02/10/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थिल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थिल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 12 पेड़ स्थिल जोकि 7.5 मीटर बेरीयर जोन मे लगे हैं जिन्हे काटा नहीं जाएगा।
प्रस्तावित स्थिल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— लगभग 90 मीटर में मुर्गीपालन फाम स्थिल है। दक्षिण दिशा— लगभग 291 मीटर में बरसाती नाला स्थिल है। पूर्व दिशा— लगभग 165 मीटर में रहवासी घर स्थिल है जिससे 35 मीटर का सेटबेक दिया गया है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	29/12/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 81 के सरल क्रमांक— 12

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

में स्थिति	पर दर्ज है ।
------------	--------------

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेसिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।  (Approx.-70% fancing)
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई । बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर 12 पेड़ स्थिल हैं ।
गारलैण्ड इंजन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 100 पेड़ पूर्व में लगाये गये एवं 500 पेड़ बांटे गये । वर्तमान स्थिति बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर 12 पेड़ स्थिल हैं ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	Kachche Village road ka maintenance , Drain cleaning ,Proving job in villagers, Religious place & plantation work प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

50 प्रतिशत फॉसिंग कार्य किया गया है व गारलैण्ड इंजन नहीं है । सामाजिक कार्यों हेतु सरपंच का प्रमाण पत्र दिया गया किन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

उत्तर दिशा में 3 मीटर खनन कार्य किया गया । दक्षिण दिशा में खनन कार्य परिलक्षित नहीं हो रहा है । पूर्व दिशा में 160 मीटर पर हैवीटेंशन इलेक्ट्रीक लाईन है, सेडबैक दिया गया ।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 16,500 घनमीटर/वर्ष।
2. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करें।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करें।
6. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
7. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- 8- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.  
 "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.20. लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.86 लाख प्रति वर्ष

#### **EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	41,940	-
1(b)	Water requirement- 0.932 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (300 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
3.	<b>PLANTATION SCHEME</b>		15,000
	a) Plantation within lease	1450 plants × 150 Rs=	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	@ Rs. 150/plant.	<b>2,17,500/-</b>		
	<b>b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.</b>	400 plants × 50 Rs= <b>20,000/-</b>		
	<b>c ) Plantation Along the Approach Road @ Rs.250/plant</b>	250 plants × 250 Rs= <b>62,500/-</b>		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>844 m Long</b>)</li> <li>Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>	80,185	5,000	
5	Wire fence ( <b>839 m</b> ) @200 rupees/meter.	1,67,800	5,000	
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000	
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000	
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000	
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000	
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 13 Labors -13 × 500 × 2)	-	13,000	
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000	
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 13 workers - 13 × 1500 )	19,500	2,000	
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000	
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000	
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)	-	1,000	
16	Miscellaneous Expenses such as follows : <ol style="list-style-type: none"> <li>One solar light, (@ Rs. 8000/light)</li> <li>Web site development &amp; Maintenance</li> <li>2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees)</li> <li>Display Board at mine entrance.</li> </ol>	22,000	-	
17	For Carbon containment adaptation of full grown trees for 10 Years (708 Plants x 100 Rs / Plant)	70,800	70,800	
	<b>TOTAL</b>	<b>10,20,805 /-</b>	<b>1,86,800/-</b>	

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.मे)
सी.ई.आर मद से 70,000 की राशी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते स्वास्थ्य जांच के उपकरण हेतु जमा की जावेगी।	70,000/-

**Plantation in other area.**

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	550
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	250
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1300
योग			2100

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**15. Case No. P2/642/24 Shri RATANCHAND JAIN, lease owner, R/o- 690,civil ward 06, jain mandir ke samne, 12 nemi nagar , damoh khas, District-Damoh(M.P.)-470661. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.452 ha. (8,003 cum per annum) (Khasra No. 81/1) Village - Jujharpur, Tehsil- Buxwaha, District-Chhatarpur, (M.P.). B-2**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri RATANCHAND JAIN, online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

<b>परियोजना विवरण</b>		<b>परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज</b>			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता		Shri RATANCHAND JAIN, lease owner, R/o- 690,civil ward 06, jain mandir ke samne, 12 nemi nagar , damoh khas, District-Damoh (M.P.)-470661.			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	81/1 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.452 hectare.			
स्थल		Village - Jujharpur, Tehsil- Buxwaha, District- Chhatarpur, (M.P.).			
लीज स्वीकृति		संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 4495-97 दिनांक 04/04/22 द्वारा स्वीकृत ।			
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।				
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।				
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-8,003 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-8,003 घनमीटर/वर्ष है।				
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1602 दिनांक 19/07/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 15.268 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।				
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1602 दिनांक 19/07/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।				
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1602 दिनांक 19/07/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।				
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कैरवारा जिला दमोह के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 07/07/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।				

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1433 दिनांक 26/06/23 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा ।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।</p>
--	--

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा ।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर मार्झिनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा ।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित मार्झिनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

**16. Case No. P2/616/24 Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक जिला कार्यालय, पन्ना, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Sande Mine in an area of 4.75 ha. (41310 cum per annum) (Khasra No. 1) Village- AMARCHHI, Tehsil- AJAYGARH, District-PANNA, Madhya Pradesh B-2**

उपरोक्त प्रकरण सेक की पूर्व बैठक 649-ए वीं दिनांक 09/05/2024 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक-2 में अनुशंसित किया जा चुका है ।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**17. Case No. P2/628/24 Shri SUNIL SHARMA, 46 jawahar marg, ward no. 17, Barwani, Barwani, Barwani, Madhya Pradesh – 451551. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 0.978 ha. (Stone – 5238 m3/Year) (Khasra No. 134/22), Village-Kari, Tehsil– Badwari, District- Badwari (M.P.) B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील कुमार शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता		Shri Sunil S/o Shri Madanlal Sharma, R/o-Dussera Maidan, Badwani, District- Badwani(M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	134/22 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लैंड)		0.978 hectare.	
स्थल	Village-Kari, Tehsil-Badwani, District-Badwani (M.P.).			
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 474 दिनांक 08/06/2017 के द्वारा स्वीकृत ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 04/01/2022, क्षमता- 5,238 घनमीटर / वर्ष,			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।			
प्रकरण की स्थिति	पुनर्मूल्यांकन, बी- 2 ।			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापति, स्थल का नाम- पिपलाज( करी ) दिनांक- 27/02/2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू	डिया के पत्र क्रमांक 85 दिनांक 23/01/2017 के द्वारा पत्थर 5,238 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

(हो)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—5,238 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 5,238 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2572 दिनांक 04/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 00 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 0.978 है. होता है, अतः प्रकरण बी— 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2572 दिनांक 04/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2572 दिनांक 04/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पिपलाज( करी ) जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 37 दिनांक 16/08/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
क्षेत्र की स्थिति	क्षेत्र लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में पेड स्थिल हैं। जिसको नो माईनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— लगभग 55 मिटर में एक छोटी नहर गई है।  दक्षिण दिशा— लगभग 135 मिटर में एक गाड़ी का सर्विस सेंटर स्थिल है। एवं पक्का रोड 222 मिटर में स्थित है।  पूर्व दिशा— लगभग 102 मिटर में रहवासी क्षेत्र है।  पश्चिम दिशा— लगभग 127 मिटर में नहर गई है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	02/04/2024

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 21 के सरल क्रमांक- 02 पर दर्ज है।
--	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – **5,238 घनमीटर / वर्ष**
2. पिट्स में बैचेस / बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करें।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करें।
6. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
7. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कोपीटल राशि रु. 6.61. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.13 लाख प्रति वर्ष

#### EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	27,720	-
1(b)	Water requirement- 0.616 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (248 m in length x 6m in width)	1,50,000	20,000
3.	<b>PLANTATION SCHEME</b>	1,20,000	15,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	a) <b>Plantation within lease</b> @ Rs. 150/plant.	300 plants × 150 <b>Rs=45,000/-</b>		
	b) <b>Plants to be distributed in nearby villagers :</b> @ Rs. 50/plant.	750 plants × 50 <b>Rs=37,500/-</b>		
	c ) <b>Plantation Along the Approach Road</b> @ Rs.250/plant	150 plants × 250 <b>Rs=37,500/-</b>		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; 389 m Long)</li> <li>Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep) .</li> </ul>		80,185	5,000
5	Wire fence (384 m) @200 rupees/meter.		76,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.		-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).		10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 10 Labors -10 × 500 × 2 )		-	10,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 10 workers - 10 × 1500 )		15,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet		1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system		5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks × 500 × 2 times in a year)		-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.		22,000	-
	<b>TOTAL</b>		<b>6,61,705 /-</b>	<b>1,13,000/-</b>

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम करी के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-

**1. Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	750
योग			1200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**18. Case No. P2/629/24 Shri RAMNARYAN PALOD, Lessee, R/o- Ganj Basoda, District- Vidisha (M.P.). Prior Environment Clearance for Flagstone in an area of 1.20 ha. (Flagstone - 7710 m3/Year) (Khasra No. 151/1), Village Lehadra, Tehsil Basoda, District Vidisha (M.P.) TOR.**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तावित **Flagstone** खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडोदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	<b>Shri RAMNARAYAN PALOD</b> , Lessee, R/o- Ganj Basoda, District-Vidisha	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	151/1 (निजी भूमि)	1.20 hectare.
स्थल	Village Lehadra, Tehsil Basoda, District Vidisha (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिक तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्रमांक .14769 दिनांक 19/09/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया विदिशा के पत्र क्रमांक .87 दिनांक 05/10/2018 के द्वारा पत्थर-7710 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Flagstone - 7710 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Flagstone - 7710 m3/Year.	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2111 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 8.6 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2111 दिनांक 27/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं हैं ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2111 दिनांक 27/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शामशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत लहदरा जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07.	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

की अनापत्ति	दिनांक 26/6/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण विदिशा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेप्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

**19. Case No. P2/621/24 Shri RAGHUVeer RANAWAT, Lessee, R/o-Nagda, Tehsil-Nagda, District- Ujjain, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti in an area of 1.50 ha. (Gitti – 7275 m3/Year) (Khasra No. 486/1/1/Ka/1), Village Ringnod, Tehsil Jaora, District Ratlam (M.P.) TOR**

प्रस्तावित गिट्टी खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रघुवीर राणावत, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बड़ौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAGHUVeer RANAWAT, Lessee, R/o-Nagda, Tehsil- Nagda, District- Ujjain, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	486/1/1/Ka/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.50 hectare.
स्थल	Village Ringnod, Tehsil Jaora, District Ratlam (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 985 दिनांक 20/12/2019 के द्वारा श्री रघुवीर राणावत निवासी नागदा जिला-उज्जैन के नाम अंतरण किया गया।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 1582 दिनांक 25/6/2018 के द्वारा पत्थर-7275 घनमीटर / वर्ष हेतु श्री हर्ष श्रीमाल के नाम से जारी।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti – 7275 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Gitti – 7275 m3/Year.	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 287 दिनांक 28/2/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 5.50 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 287 दिनांक 28/2/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जॉन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 287 दिनांक 28/2/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रिंगनोद जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 20/4/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.05 के सरल क्रमांक—29 पर दर्ज है।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

**20. Case No. P2/620/24 Shri PAPPU GOUD, Lessee, R/o- Village- Shankargarh Dewas, District- Dewas, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.00 ha. (Stone 6000 m3/Year, Murram 3158 m3/Year) (Khasra No. 197/1), Village Khatamba, Tehsil Dewas, District Dewas (M.P.) TOR**

प्रस्तावित **Stone** खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है। प्रकरण आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri PAPPU GOUDH, Lessee, R/o- Village- Shankargarh Dewas, District- Dewas, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	197/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लॅंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village Khatamba, Tehsil Dewas, District Dewas (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2298 दिनांक 18/11/2021 के द्वारा लीज हस्तांरण भरत चौहान के स्थापन पर श्री पप्पू चंद्र गौण को कर दी गई है ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 211 दिनांक 23/3/2016 के द्वारा पत्थर-6,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone 6,000 m3/Year and Overwarden – 3158 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone 6,000 m3/Year, Overwarden – 3158 m3/Year.	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2300 दिनांक 29/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 24.25 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2300 दिनांक 29/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2300 दिनांक 29/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में ग्रामीण कच्चा रास्ता प्रतिबंधित दूरी 10 मीटर से दूर है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खटाम्बा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 22/9/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण देवास जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-19 के सरल	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	क्रमांक—11 पर दर्ज है ।
--	-------------------------

In reference of the subject matter above, here we would like to address that according to the policy decision by respected MP-SEIAA taken in meeting 826th dtd 23-01-2024, our case will be considered as fresh case as there is change from the existing environmental clearance because the lease gets transferred to us and the EC was in the name of previous lessee, however we have already filled application for this case as an fresh case. Kindly consider our case as fresh case and accept or case for further procedure of environmental clearance.

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30 / 04 / 2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेंडर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

**21. Case No. P2/631/24 Shri VIJAY SHANKAR PANDEY, Owner, Add- Komal Nagar, Tehsil- Ratlam, District- Ratlam (M.P). Prior Environment Clearance for Gitti, M-Sand in an area of 3.60 ha. (Gitti – 15350 m3/Year and M-Sand - 15350 m3/Year) (Khasra No. 173), Village- Sarwanikhurd, Tehsil & District- Ratlam (M.P) TOR**

प्रस्तावित **Gitti**, खदान बी—1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 17 / 05 / 2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार **Shri Varun Bhardwaj , M/s, Zenith Environment Consultancy** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri VIJAY SHANKAR PANDEY, Owner, Add- Komal Nagar, Tehsil- Ratlam, District- Ratlam (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	173 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.60 hectare.
स्थल	Village- Sarwanikhurd, Tehsil & District- Ratlam (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 255 दिनांक 20 / 2 / 2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti – 15350 m3/Year and M-Sand - 15350 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Gitti – 15350 m3/Year and M-Sand - 15350	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	m3/Year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 395 दिनांक 15/3/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदाने संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 14.60 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 305 दिनांक 04/3/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 305 दिनांक 04/3/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वेजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिबडौद जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 03/10/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 395 दिनांक 15/3/24 अनुसार डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

**22. Case No. P2/644/24 Shri AWADHESH SINGH, LEESSEE, 226 Ward no-17 bajrang nagar near new Bsnl , new panna naka , chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (50,000 cum per annum) (Khasra No. 220/1) Village Shivrajpur Tehsil Rajnagar District Chhatarpur (M.P.). [MIN/466942/2024 (DEIAA- Re-appraisal)] B-2**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **17/05/2024** को परियोजना प्रस्तावक अवधेश प्रताप सिंह आ. श्री लाल सिंह परिहार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अवधेश प्रताप सिंह आ. श्री लाल सिंह परिहार सिंचाई कालोनी, जिला छतरपुर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	220/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) नोइयत पहाड़	4.00 हें.
स्थल	ग्राम शिवराजपुर, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के पत्र क्रमांक 3027 / खनिज / 2017, दिनांक 15/12/2017 के द्वारा नवीनीकरण स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।	
प्रकरण की स्थिति	नवीनीकरण एवं डिया से सिया ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हों)	डिया कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के पत्र क्रमांक 2701 दिनांक 13/11/2017 के द्वारा पत्थर-50,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-50,000 घनमीटर/ वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 50,000 घनमीटर/ वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2837 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/ स्वीकृत नहीं है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2837 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क, अभ्यारण्य/ ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है । पन्ना टाइगर रिजर्व से दुरी 5.1 कि.मी. है । वन सीमा वन कक्ष क्रमांक पी-672 से लगभग 4000 मीटर की दूरी पर है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2837 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है। जलीय निकाय आवेदित भूमि से लगभग 100 मीटर से अधिक पर है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत शिवराजपुर जिला छतरपुर के पत्र दिनांक 14/07/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में 2 पेड़ हैं जो कि बैरियर जोन अर्थात् गैर खनन क्षेत्र में हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा—केनाल 220 मी. एवं 310 मी. पर है। दक्षिण दिशा—तालाब 65 मी. पर है एवं आबादी 290 मी. पर है। पूर्व दिशा—आबादी 307 मी. पर है।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-28 के सरल क्रमांक-2 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक ने बताया खदान से दक्षिण दिशा में 65 मी. पर तालाब है अतः 35 मी. तक गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुये 100 मी. मापदण्ड पूर्ण करते हुये सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	65 प्रतिशत पूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये किन्तु वह जीवित नहीं बचे एवं 100 पेड़ क्रेशर क्षेत्र के आस-पास लगाये गये थे। लीज धारक द्वारा 50 नये पौधे भी लगाये गये हैं।

## 753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 मई 2024

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।
--	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार नियमानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता — 50,000 मी.<sup>3</sup>/वर्ष।
  2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
  3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय रूप से किया जावें।
  4. डिया द्वारा जारी ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
  5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
  6. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
  7. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
  8. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में स्तरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
  9. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.
- "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14,86,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 4,37,000/- प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
<b>C. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 5500ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	2,47,500
2	Garland Drain is proposed(797m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	1,00,000	10,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

<b>3</b>	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 397 Total length 797m , fencing done in 400m	1,98,500	5,000
<b>4</b>	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 3700 x Rs.200	8,40,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100 x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (1000 X Rs. 50)		
<b>5</b>	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 300m x 5m) @500/sqm	Already done	10,000
<b>6</b>	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
<b>7</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/20-40 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	Already done	2000
<b>8</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	Already done	3000
<b>9</b>	Occupational Medical Check-up for 25 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	25,000
<b>10</b>	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
<b>11</b>	PPEs for other mining operations for 25 worker@ Rs. 1500/worker	37,500	5,000
<b>12</b>	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	Already done	10,000
<b>13</b>	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
<b>14</b>	Half yearly PUC certification for 8 trucks @1000/truck	-	8000
<b>15</b>	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	Nil
<b>16</b>	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine ) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
<b>17</b>	VT Trainings for 25 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	12,500
<b>18</b>	Wind breaking wall along the crusher	Already done	10,000
<b>19</b>	For reduction of Carbon emission – LED bulb distribution	50,000	Nil
<b>20</b>	Barrier zone restoration/backfilling	1,00,000	Nil
<b>Total</b>		<b>14,86,000</b>	<b>4,37,000</b>

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियों	राशि (रु.में)
---------------------------------------	---------------

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल चन्द्रनगर में प्रयोगशाला विकास हेतु उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ में भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000/-
--	----------

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, महुआ, करंज, चिरोल, सिस्सू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	शास. अंकुर योजना के तहत शिवराजपुर ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
4	शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल चन्द्रनगर में	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, अमलतास, पुत्रनजीवा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**23. Case No. P2/615/24 Shri Shashi Bhushan Shukla, PROJECT PROPONENT, S/o Shri Janardan Prasad Shukla, 56, Ward No. 13, Bhati Hanumana Prior Environment Clearance for Flag Stone Mine in an area of 1.00 ha. (9,975 cum per annum) (Khasra No. 710/9, 710/2/2) VILLAGE – LASA, TALUKA – HANUMANA DISTRICT – REWA (M.P.), District Rewa, (M.P.) B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत दिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री शशि भूषण शुक्ला एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार M/s.FECCM Consultancy Pvt Ltd. (Raheesh Prasad Patel) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता		श्री शशि भूषण शुक्ला, पुत्र जर्नादन प्रसाद शुक्ला पता—ग्राम भाटी, तहसील—मऊगंज, जिला—रीवा, म.प्र.			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)		खसरा नं 710/9, 710/2/2 (निजी भूमि)			hectare. 01.000 ha
स्थल		Village	Tehsil	District	State
		Lasa	Hanumana	Rewa	MP
लीज स्वीकृति		कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 3263 / खनिज / 2023, रीवा, दिनांक 09/10/2023 के द्वारा स्वीकृत ।			
ब्लास्टिंग / मेन्युअल / सेमी मेकेनाईज		अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मेन्युअल / सेमी मेकेनाईज है । एवं ब्लास्टिक प्रस्तावित नहीं ।			
प्रकरण की स्थिति		नया प्रोजेक्ट ।			
उत्पादन क्षमता		परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग स्टोन— 9975 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 9975 घनमीटर/वर्ष है ।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें		बरसाती नाला 250 मीटर, शेष नहीं । तहसीलदार तरसील हनुमना जिला मऊगंज के प्रतिवेदन क्रमांक 406, दिनांक 05.04.2023 के अनुसार			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति		कोई आपत्ति नहीं । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल पत्र क्रमांक 36 / खनिज / 2023, रीवा, दिनांक 10/01/2024 एवं वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा के पत्र क्रमांक 3255 रीवा दिनांक 06.04.2023 द्वारा			
तहसीलदार की अनापत्ति		कोई आपत्ति नहीं । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 36 / खनिज / 2023, रीवा, दिनांक 10/01/2024 के द्वारा स्वीकृत । 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लासा, जनपद पंचायत हनुमना, जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 14/05/2023 एवं पंचायत के पत्र दिनांक 15/05/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>● लीज में स्थिल पेड़ों का विवरण 00</li> <li>● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 00</li> <li>● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 00</li> <li>● यदि पेड़ों का गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण 0.30 है। में</li> </ul>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्तर दिशा— 480 मीटर पर कुछ कच्चे मकान हैं सरफेस मेप संलग्न है।</p> <p>दक्षिण दिशा— 155 मीटर पर 2-4 कच्चे मकान हैं सरफेस मेप संलग्न है।</p> <p>पूर्व दिशा— दक्षिण दिशा— 400 मीटर पर 4-6 कच्चे मकान हैं सरफेस मेप संलग्न है।</p> <p>पश्चिम दिशा— कुछ नहीं सरफेस मेप संलग्न है।</p>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज करने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—रीवा ने पत्र क्र. 35/खनिज/2023 दिनांक 10/01/2023 को पत्र जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेंडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन 9975 घन मीटर/वर्ष है
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.98 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget provisions (Rs)	
		Capital	Recurring

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

1	Water tanker (4000 ltr) @Rs 200/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 60,000 + Diesel	60,000	20,000
2	Garland Drain (2.0 m Wide & 1.5 m Deep & 720m Long) and 2- Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern.	60,000	5,000
3	Approach Road Maintenance, Sign Board, Development of T-Point etc (1.2km. in length x 6m in width)	1,80000	10,000
4	Monitoring twice a year . (AAQM @20000/yr, Water@10000/yr, Noise@10000/yr )	NIL	40,000
5	Plantation ( 1200 plants/year will be planted)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @ 100 Rs./tree 300 no's)	30,000	5000
	B. Plant distribute to Villagers. (No. 650 @40) Plant hight 1.5m. above	26000	Nil
	C. Outside the Lease Area ( along approach road and village area) @200 Rs./tree (250 no's)	50,000	8000
6	Wire fence 510m.	80000	10000
7	PUC certification of vehicles ( @ Rs 500 per dumper)	-	1000
8	Induction motor (5 HP ) with accessories for dewatering the pit	40,000	5,000
9	Drinking Water Facility and rest shelter (25x 15 ft.) with solar light	1,00,000	5,000
10	Toilets 2 nos. 12500 x 2	25,000	5,000
11	Occupational health checkup for 12 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 12)	24000	2,000
12	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 14x 2000)	28,000	5,000
<b>Emergency Rescue Plan</b>			
14	Fire Fighting Equipments (2 Nos.) @ 10000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	2,000
15	Safety signage and warning boards like red flags, cones etc.	5,000	2,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

<b>Solid Waste Management</b>			
16	a) Bins 4 Nos @ Rs 1000 each	4,000	<b>5,000</b>
	b) Pit and Composting	5000	
	c) Transport of Dry Waste	5,000	
17	Development of grazing land	5000	2500
	<b>Total</b>	<b>7,49,000</b>	<b>1,98,500</b>

**3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-**

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्थनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 75,000/- में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
• ग्राम लासा प्राथमिक विकास केंद्र को अधोसारचना विकास के लिए राशि 3 माह के भीतर जमा कर दी जावेगी	70,000
कुल	70,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

6.

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	काला सिरस, सागौन, नीम, खमेर, करंज, बरगद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	काला सिरस, नीम, शीशम, सागौन, करंज, कदम, अशोक, पीपल	250
3	टमरी ग्राम पंचायत, स्कूल एवं अंगनबाड़ी में	नीम, शीशम, सागौन, करंज, कदम, अशोक, पीपल	50
4	लासा ग्राम में वृक्षारोपण हेतु वितरण	जामुन, मुनगा, नीबू, महुआ, पीपल, आम	600
कुल वृक्षारोपण			1200
<ul style="list-style-type: none"> <li>• वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार</li> <li>• (सतत सिचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव) ।</li> <li>• वृक्षारोपण प्रथम दो वर्ष में पूर्ण किया जायेगा ।</li> <li>• लीज बाउंड्री (510 मी.) के चारों ओर नेट वायर फेंसिंग की गई है गारलैंड ड्रेन के समानांतर नीम बबूल व प्रोसोपिस जूलिपलोरा के बीज बोई जाएगी ।</li> </ul>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**24. Case No. P2/708/24 Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक जिला कार्यालय, पन्ना, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 3.40 ha. (28,215 cum per annum) (Khasra No. 501) Village- HARNMPUR, Tehsil- AJAYGARH, District-Panna (M.P.) B-2**

This case has already been discussed in the SEAC 749<sup>th</sup> meeting 09.05.2024 wherin query was issued.

**25. Case No. P2/709/24 Shri DEVENDRA SHIVEHARE, Proprietor, M/S OM GRANITE, VILL - CHURIYARI, TEHSIL - GAURIHAR, DISTRICT -**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**CHHATARPUR, (M.P) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.6 ha. (50,000 cum per annum) (Khasra No. 175) Village KHURERI Tehsil Gaurihar District Chhatarpur (M.P.). (DEIAA- Re-appraisal) B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ओम ग्रेनाइट एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इ.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri DEVENDRA SHIVEHARE, Proprietor, M/S OM GRANITE, VILL - CHURIYARI, TEHSIL - GAURIHAR, DISTRICT - CHHATARPUR, (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	175 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.6 hectare.
स्थल	Village KHURERI Tehsil Gaurihar District Chhatarpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2199 दिनांक 04/09/17 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	DEIAA- Re-appraisal	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 491 दिनांक 30/01/18 के द्वारा पत्थर—50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—50,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2848 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 03.20 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2848 दिनांक 13/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2848 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टोप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खुडेटी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 26/01/09 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित।	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— खदान के उत्तर दिशा में 152 मीटर पर एक कच्ची सड़क परिलक्षित हो रही है दक्षिण दिशा— खदान के दक्षिण दिशा में 212 मीटर पर प्राकर्तिक नाला परिलक्षित हो	

## 753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 मई 2024

	<p>रहा है</p> <p>पूर्व दिशा— खदान के पूर्व दिशा में 244 मीटर पर एक कच्ची सड़क परिलक्षित हो रही है।</p> <p>पश्चिम दिशा— खदान के पश्चिम दिशा में 188 मीटर पर एक कच्ची सड़क परिलक्षित हो रही है।</p>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-140 के सरल क्रमांक-111 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्ण मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई। समिति ने पाया कि फॉसिंग अपूर्ण है, 100 पौधे बाँटे गये हैं तथा 300 लगाए गए हैं। सामाजिक कार्य पूर्व में दी गई ई.सी. की शर्तों का 6 माह में पालन सुनिश्चित करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 50000 घन मीटर प्रतिबर्ष
2. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करें।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करें।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.68 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.48 लाख प्रति वर्ष।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul road and Green Belt. Cost for 300 days for 3.1 KLD @5 KL tanker capacity, Rupees 500/- per tanker	0	93,000
1(b)	Cost of Water tanker (3000 -liter capacity) =40,000/- Cost for (drinking and domestic use) 300 days for 1.215 KLD @ 3 KL tanker capacity, Rupees 600/- per tanker	40,000	72,900
1(c)	Discharge of waste water 300 days for 0.90 KLD @5KLD tanker capacity, Rupees 2000/per tanker.	0	1,08,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 191 m, Width 4.0m) @ 300Rs. /Meter.	57,300	5,730
3	Monitoring (Air, Water & Noise)	Nil	40,000
4	Grazing Land	1,30,000	78,000
5	Wire Fence 595 m x 500/- meter	2,97,500	29,750
6	Settling Tank & Garland Drains	1,00,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
A	In Barrier Zone = 595 No. of plant@20/-per plant. (11,900/-)	65,020	15,000
B	Both sides of Approach Road= 191 No. of plants @ avg/-100 per plant. (19,100/-)		
C	1134 Nos. of saplings will be distributed to the nearby villager's @Rs30 /tree. (34,020)		NIL
<b>LABOUR WELFARE</b>			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 10 feet)	20,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female (2 for Each)	50,000	20,000
8	Occupational health Survey 27 labour @ 500 Rs. /labour Rs. /twice per year @500 x 2 x 27	Nil	27,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle, reflective jackets etc.), 27 labor @ 1200 Rs.	32,400	3,200
10	First Aid Kits, Number of kits 3	5,000	1000
11	Fire Safety (2 nos.), @ 30,000	60,000	3,000
<b>SOLID WASTE MANAGEMENT</b>			
12a.	Bins 2 Nos.	1,500	4,000
12b.	Transport of Dry Waste	5,000	
13	Vehicle Maintenance +PUC Certification	Nil	25,000
14	Signage and Caution Board	5,000	1,000
<b>CARBON SEQUESTRATION</b>			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

15	Distribution of LED BULB in nearby villagers	1,00,000	0
	<b>Total EMP cost</b>	<b>9,68,720</b>	<b>5,48,580</b>

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय खुड़ेरी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	80000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1920 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सलाई, नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर 4 पेड़ के बीच में एक	595
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय (ट्री—गार्ड के साथ)	191
3	ग्राम खुड़ेरी के ग्राम वासियों में पौधों का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू सीताफल एवं अमरुद	1134

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीड़बाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती छें**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**26. Case No 11319/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Bhikampura-A Sand Quarry Deposit in an area of 15.00 ha. (90000 cum per year) (Khasra No. 278), Village-Bhikampura, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Ashish Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :—**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. ‘A’, II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ashish Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 15.00 Ha.			
स्थल	Village – Bhikampura A & Tehsil – Seondha, District – Datia (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार	मार्झिनिंग प्लान	डीएसआर	हों	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	हॉ	हॉ		
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (भिनकमपुरा अ) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1004/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09. 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 31.25 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1004/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09. 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1004/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09. 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भिनकमपुरा जिला दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 10.03.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-5 के सरल क्रमांक— 12 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 19.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डुबा हुआ है साथ ही नदी के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद खनन् योग्य उत्थनन क्षेत्र 7.86 है. है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 78,600 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेपडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् क्षेत्र 7.86 है. में अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 78,600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.13 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

6. जन सुनवाई में नदियों का जल स्तर कम होने की बात उठाई गई है । अतः समिति द्वारा संबंधित नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षा एवं संवर्धन के उपाय किये जावे । इस हेतु ई.एम.पी. में प्रावधान समुचित रूप से सुनिश्चित किये जावे ।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 630 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	63,000	10,000
3	Plantation (9,432 plants will be planted & Distribution during the first year).	7,07,400	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water Harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 54 Labour @ 500 Rs. = 27,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 54	Nil	54,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 54 labor @1000 Rs.	54,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

Total EMP Cost	12,89,400	4,13,000
----------------	-----------	----------

### CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 लाख तथा सी.स.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी. स.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम भिकमपुरा - ए में खेल के मैदान के लिए विकास हेतु सहायता	1,00,000
2	राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के विकास हेतु	1,00,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 9432 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1572
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	1572
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	6288

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ( SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि , विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार , बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**27. Case No 11314/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Khamroli-A Sand Quarry Deposit in an area of 15.80 ha. (45000 cum per year) (Khasra No. 825), Village-Khamroli, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Ashish Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ashish Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 15.80 Ha.

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

स्थल	Village – Khamroli A & Tehsil – Seondha, District – Datia (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान /डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (खमरोली अ) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैच्चर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 45,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है ।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1002/खनिज/3–6 / 2023–24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 0 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 15.80 है. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1002/खनिज/3–6 / 2023–24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1002/खनिज/3–6 / 2023–24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खमरोली जिला दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.01.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 17 के सरल क्रमांक- 15 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 20.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/ सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डुबा हुआ है साथ ही नदी के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद खनन योग्य उत्थनन क्षेत्र 8.25 हे. है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 41,250 घनमीटर/ वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन क्षेत्र 8.25 हे. में अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 41,250 घनमीटर/ वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।

2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थिल वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.44 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.86 लाख प्रति वर्ष।
6. जन सुनवाई में नदियों का जल स्तर कम होने की बात उठाई गई है। अतः समिति द्वारा संबंधित नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षा एवं संवर्धन के उपाय किये जावे। इस हेतु ई.एम.पी. में प्रावधान समुचित रूप से सुनिश्चित किये जावे।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 520 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	52,000	10,000
3	Plantation (9000 plants will be planted & Distribution during the first year).	5,00,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
Labour Welfare			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 27 Labour @ 500 Rs. = 13,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 27	Nil	27,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 27 labor @1000 Rs.	27,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>10,44,000</b>	<b>1,86,000</b>

### CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.5 लाख तथा सी.स.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम खमरौली - ए के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	3000
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	5000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ( SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि , विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार , बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**28. Case No 11295/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Madikhedi Sand Quarry Deposit in an area of 4.90 ha. (39535 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Maraikhera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Ashish Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ashish Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 4.90 Ha.

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

स्थल	Village – Madikheda & Tehsil – Seondha, District – Datia (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (मङ्गीखेड़ा) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 39,535 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है ।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1011/खनिज/3–6 / 2023–24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 9.8 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1011/खनिज/3—6 / 2023—24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1011/खनिज/3—6 / 2023—24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मड़ीखेड़ा जिला दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 22. 12.2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—7 के सरल क्रमांक— 12 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 20.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डुबा हुआ है साथ ही नदी के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद खनन योग्य उत्खनन क्षेत्र 2.76 है. है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 1.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 39,535 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेपडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन क्षेत्र 2.76 है. में

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 39,535 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे रिथिल वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.56 लाख प्रति वर्ष।
6. जन सुनवाई में नदियों का जल स्तर कम होने की बात उठाई गई है। अतः समिति द्वारा संबंधित नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षा एवं संवर्धन के उपाय किये जावे। इस हेतु ई.एम.पी. में प्रावधान समुचित रूप से सुनिश्चित किये जावे।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 450 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	45,000	10,000
3	Plantation (3,312 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,48,400	10,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 42 Labour @ 500 Rs. = 21,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 42	Nil	42,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 42 labor @1000 Rs.	42,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>4,60,100</b>	<b>4,56,000</b>

### **CSR Table**

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.7 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम मंदिखेड़ा के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	70,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3312 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन , बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	552

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ  आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	552  2208
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ( SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा    ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा    ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे    ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि , विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा   परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार , बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी	

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**29. Case No 11297/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dongarpur Sand Quarry Deposit in an area of 4.90 ha. (36427 cum per year) (Khasra No. 232), Village-Dongarpur, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Ashish Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ashish Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 4.90 Ha.			
स्थल	Village – Dongarpur & Tehsil – Seondha, District – Datia (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम ।	सिन्ध नदी पर है ।			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (डोंगरपुर) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 36,427 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है ।			
500 मीटर की परिधि में अन्य	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

खदानें	क्रमांक 1007/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 9.8 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1007/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1007/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डॉगरपुर जिला दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 27.08.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक- 13 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 20.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डुबा हुआ है साथ ही नदी के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद खनन योग्य उत्खनन क्षेत्र 3.08 है. है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 1.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 36,427 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेपडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन क्षेत्र 3.08 हे. में अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 36,427 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे रिथिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.61 लाख प्रति वर्ष ।
6. जन सुनवाई में नदियों का जल स्तर कम होने की बात उठाई गई है । अतः समिति द्वारा संबंधित नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षा एवं संवर्धन के उपाय किये जावे । इस हेतु ई. एम.पी. में प्रावधान समुचित रूप से सुनिश्चित किये जावे ।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S NO.	Particulars	ANNUAL EMP COST	
		Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 450 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	45,000	10,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

3	Plantation (3,696 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,77,200	10,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 42 Labour @ 500 Rs. = 21,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 42	Nil	42,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 42 labor @1000 Rs.	42,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>8,29,200</b>	<b>3,61,000</b>

### CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम डॉंगरपुर के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1232 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन , बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय	616

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

अनुसार	प्रजातियाँ	
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ 616
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी 2464
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ( SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि , विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार , बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।		

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**30. Case No 11316/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bhikampura-B Sand Quarry Deposit in an area of 16.25 ha. (48000 cum per year) (Khasra No. 278), Village-Bhikampura, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Ashish Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टेंट्सी (वरुण भारद्वाज) उपरिथित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**परियोजना विवरण :—**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ashish Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 16.250 Ha.			
स्थल	Village – Bhikampura B & Tehsil – Seondha, District – Datia (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित मार्झिनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोडिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट 1/4fHkudeiqjk ch) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैच्डर्ड टोर			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है”।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1005/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 31.25 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1005/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1005/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत fHkudeiqjk जिला दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 10.03.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान है सिन्ध unh ij gS
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>रेत की खदान है</li> <li>सिन्ध unh ij gS</li> </ul>
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 26 के सरल क्रमांक- 17 पर दर्ज है।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 19.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
---	--

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डुबा हुआ है साथ ही नदी के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद खनन योग्य उत्खनन क्षेत्र 6.06 है। उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 30,300 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेंडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन क्षेत्र 6.06 है। में अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 30,300 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.61 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.59 लाख प्रति वर्ष।
6. जन सुनवाई में नदियों का जल स्तर कम होने की बात उठाई गई है। अतः समिति द्वारा संबंधित नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षा एवं संवर्धन के उपाय किये जावे। इस हेतु ई.एम.पी. में प्रावधान समुचित रूप से सुनिश्चित किये जावे।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 110 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	11,000	10,000
3	Plantation (7,272 plants will be planted & Distribution during the first year).	5,45,400	10,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20,000 Rs./twice per year @ 500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @ 1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>10,61,400</b>	<b>3,59,000</b>

### CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.स.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम भिकमपुरा - ब के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2424 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1212
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	1212
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	4848
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ( SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</li> <li>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</li> <li>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।</li> <li>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि , विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार , बॉस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</li> </ul>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**31. Case No 11317/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Jara Sand Quarry Deposit in an area of 19.20 ha. (57000 cum per year) (Khasra No. 117), Village-Jara, Tehsil-Lahar, District-Bhind (MP)**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Ashish Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ashish Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 19.20 Ha.			
स्थल	Village – Jara & Tehsil – Seondha, District – Datia (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें ।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट $\frac{1}{4}$ tjk) दिनांक - 05.01.2024			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

निरीक्षण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 57,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1003/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 0 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 19.20 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1003/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/आम्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1003/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जरा जिला दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 07.05.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	रेत की खदान हैं सिन्ध नदी पर हैं
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान हैं</li> <li>• सिन्ध नदी पर हैं</li> </ul>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण	नया प्रोजेक्ट

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तुत करने का दिनांक	
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-24 के सरल क्रमांक- 15 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 19.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी. एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डुबा हुआ है साथ ही स्टॉप डेम होने के कारण एवं नदी के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद खनन योग्य उत्खनन क्षेत्र 1.59 है. है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 7950 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेंडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन क्षेत्र 1.59 है. में अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 7950 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.99 लाख प्रति वर्ष ।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

**ANNUAL EMP COST**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 110 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	11,000	10,000
3	Plantation (4,392 plants will be planted & Distribution during the first year).	3,29,400	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Labour Welfare</b>			
5	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
6	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
7	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 42	Nil	40,000
8	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
9	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
10	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
11	Signage and Caution Board	30,000	3,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>5,95,400</b>	<b>1,99,000</b>

### CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे )

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम जरा में हेडपम्प लगाने हेतु	50,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1464 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	732
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	732
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	2928

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ( SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि , विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार , बौस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**32. Case No 11315/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Badonkalan-A Sand Quarry Deposit in an area of 15.00 ha. (66000 cum per year) (Khasra No. 173, 174), Village-Badaun Kalan, Tehsil-Datia, District-Datia (MP)**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Ashish Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ashish Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 23.00 Ha.			
स्थल	Village – Badonkalan A & Tehsil – Datia, District – Datia (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बड़ोंकलाँ अ) दिनांक - 05.01.2024			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टाँर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 66,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1005/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 0 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 23.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1005/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1005/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बड़ोंकलाँ जिला दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 13.03.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेत की खदान है</li> <li>• सिन्ध नदी पर है</li> </ul>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-22 के सरल क्रमांक- 15 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डुबा हुआ है साथ ही स्टॉप डेम होने के कारण एवं नदी के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद खनन योग्य उत्थनन क्षेत्र 7.81 है. है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 39,050 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन क्षेत्र 7.81 है. में अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत- 39,050 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.50 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.69 लाख प्रति वर्ष ।
6. जन सुनवाई में नदियों का जल स्तर कम होने की बात उठाई गई है । अतः समिति द्वारा संबंधित नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षा एवं संवर्धन के उपाय किये जावे । इस हेतु ई.एम.पी. में प्रावधान समुचित रूप से सुनिश्चित किये जावे ।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 930 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	93,000	10,000
3	Plantation (9,372 plants will be planted & Distribution during the first year).	7,02,900	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	50,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 40 Labour @ 500 Rs. = 20,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 40	Nil	40,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 40 labor @1000 Rs.	40,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>12,50,900</b>	<b>3,69,000</b>

### **CSR Table**

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.स.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

<b>क्रमांक न.</b>	<b>सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि</b>	<b>राशि(रु. में)</b>
-------------------	--	----------------------

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

1	ग्राम बड़ौंकलां - ए के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000
2	ग्राम बड़ौंकलां - ए के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3132 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1562
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	1560
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	6248
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ( SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</li> <li>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</li> <li>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।</li> <li>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि , विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार , बौस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</li> </ul>			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**33. Case No 11303/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Badonkalan-e Sand Quarry Deposit in an area of 24.094 ha. (144000 cum per year) (Khasra No. 551), Village-Badaun Kalan, Tehsil-Datia, District-Datia (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Ashish Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :—**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ashish Singh			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 24.094 Ha.			
स्थल	Village – Badonkalan E & Tehsil – Datia, District – Datia (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हॉ	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	हॉ	हॉ		
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बड़ोंकलाँ ई) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,44,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1009/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 47.094 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1009/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1009/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।			
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बड़ोंकलाँ जिला दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 13.03.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-23 के सरल क्रमांक- 15 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/ सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डुबा हुआ है साथ ही स्टॉप डेम होने के कारण एवं नदी के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद खनन योग्य उत्थनन क्षेत्र 14.260 है. है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 1.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 1,42,600 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेपडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन क्षेत्र 14.260 है. में अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 1,42,600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
- 2 नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- 3 रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- 4 खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

- 5 पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.62 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.00 लाख प्रति वर्ष ।
- 6 जन सुनवाई में नदियों का जल स्तर कम होने की बात उठाई गई है । अतः समिति द्वारा संबंधित नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षा एवं संवर्धन के उपाय किये जावे । इस हेतु ई.एम.पी. में प्रावधान समुचित रूप से सुनिश्चित किये जावे ।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>S NO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 280 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	28,000	10,000
3	Plantation (17112 plants will be planted & Distribution during the first year).	12,83,400	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
<b>Carbon Sequestration</b>			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
6	Water harvesting recharge structure of the river	1,00,000	-
<b>Labour Welfare</b>			
7	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
8	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
9	Occupational health Survey 86 Labour @ 500 Rs. = 43,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 86	Nil	86,000
10	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 86clabor @1000 Rs.	86,000	5,000
11	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

<b>Total EMP Cost</b>	<b>18,62,400</b>	<b>4,00,000</b>
-----------------------	------------------	-----------------

### **CSR Table**

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बड़ौंकलां - ई के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000
2	ग्राम बड़ौंकलां - ई के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000
3	राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के विकास हेतु	1,00,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 5704 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन , बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ	2852
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केन्द्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	2852
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	11408

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ( SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि , विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार , बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**34. Case No 11306/2024 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Badonkalan-D Sand Quarry Deposit in an area of 23.00 ha. (68985 cum per year) (Khasra No. 551), Village-Badaun Kalan, Tehsil-Datia, District-Datia (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Ashish Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टेन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Ashish Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 23.00 Ha.
स्थल	Village – Badonkalan D & Tehsil – Datia, District – Datia (M.P)

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
नदी का नाम	सिन्ध नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बड़ोंकलाँ डी) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैचर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 68,985 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1010/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 24.094 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1010/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1010/खनिज/3-6/2023-24 दिनांक 27.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बड़ोंकलाँ जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 26.01.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-3 के सरल क्रमांक— 12 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.04.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डुबा हुआ है साथ ही निर्माणाधीन पक्का रोड ब्रिज होने के कारण 500 मीटर का सेटबैक देने के बाद एवं नदी के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबैक देने के बाद खनन योग्य उत्थनन क्षेत्र 1.30 है. है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 6750 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशेष शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन क्षेत्र 1.30 है. में अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 6750 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।

- 2 नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- 3 रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- 4 खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
- 5 पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 4.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.01 लाख प्रति वर्ष।
- 6 जन सुनवाई में नदियों का जल स्तर कम होने की बात उठाई गई है। अतः समिति द्वारा संबंधित नदी के आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षा एवं संवर्धन के उपाय किये जावे। इस हेतु ई.एम.पी. में प्रावधान समुचित रूप से सुनिश्चित किये जावे।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 880 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	88,000	10,000
3	Plantation (1,620 plants will be Distributed during the first year).	1,21,500	-
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Labour Welfare			
5	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
6	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
7	Occupational health Survey 42 Labour @ 500 Rs. = 21,000 Rs./twice per year @500 x 2 x42	Nil	42,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

<b>8</b>	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 42 labor @1000 Rs.	42,000	5,000
<b>9</b>	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
<b>10</b>	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
<b>11</b>	Signage and Caution Board	30,000	3,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>4,66,500</b>	<b>2,01,000</b>

### CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 50000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बड़ौंकलां - डी के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के लिए ।	50,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1620 वृक्षारोपण हेतु पौधों का वितरण :

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर ) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	1620
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ( SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</li> <li>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</li> <li>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।</li> <li>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि , विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार , बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</li> </ul>			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**35. Case No 11281/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Barua Sand Quarry in an area of 12.60 ha. (196560 cum per year) (Khasra No. 236, 269, 582, 564), Village-Barua, Tehsil-Vijayraghavgarh, District-Katni (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार, ऑन लाईन, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 236,269,582,564 ( गासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 12.60 हे.
स्थल	ग्राम – बरुआ, तहसील – विजयराधवगढ़, जिला – कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे १ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – बरुआ रेत खदान, दिनांक— 04 / 11 / 2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बरुआ रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31 / 01 / 2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,96,560 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 1,96,560 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2169 दिनांक 21 / 09 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 3.88 है. है कूल रकबा 16.48 होता है अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2169 दिनांक 21 / 09 / 2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2169 दिनांक 21 / 09 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट हैं एवं 300 मीटर की दूरी पर पक्का रास्ता, 110 मीटर की दूरी पर सार्वजनिक भवन, 250 मीटर की दूरी पर भाम गान धाट एवं 110 मीटर की दूरी पर रोड है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरुआ जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक 17 / 08 / 2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थिल नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	महानदी नदी । खदान क्षेत्र का अधिकां । भाग सूखा हुआ है ।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	18/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-28 के सरल क्रमांक-35 एवं पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-29 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/04/2024, को संपन्न हुई।  आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डुबा हुआ है साथ ही नदी के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद खनन योग्य उत्खनन क्षेत्र 7.56 हे. है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 2.6 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 1,96,560 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन क्षेत्र 7.56 हे. में अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 1,96,560 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

5 पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 8.75 लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000 m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (4272X150= ₹6,40,800) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (300X500= ₹ 1,50,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (4500X50 = ₹ 2,25,000)	10,15,800	1,01,580
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (91 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	91,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 105	90,000	10,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and	30,000	3,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	Rs. 3000/year for Maintenance.		
<b>8</b>	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
<b>9</b>	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 105 Labors - $105 \times 500 \times 2$ )	-	1,05,000
<b>10</b>	First Aid Box & Firefighting equipment's @ $20000 \times 1$ & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
<b>11</b>	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 105 workers - $105 \times 1500$ )	1,57,500	10,000
<b>12</b>	Shelter rooms for labors ( $15 \times 20$ ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
<b>13</b>	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
<b>14</b>	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	23,000	5,000
<b>15</b>	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
<b>16</b>	Provide 2,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint sequestration and distribution of LED bulb.	2,00,000	2,00,000
	<b>Total</b>	<b>20,07,300/-</b>	<b>8,75,580/-</b>

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4,60,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बरुआ में रोड लाईट के लिए।	40,000
बरुआ गाँव में सामाजिक कार्य के रूप में पंजीकृत गौशाला के विकास के लिए।	70,000

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

ग्राम बरुआ में नहर तटबंध की मरम्मत हेतु ।	1,00,000
सी.ई.आर मद से 1,50,000 की राही पालक दिक्षक संघ समिति ग्राम बरुआ के भासकीय प्राथमिक भाला के खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,50,000
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1,00,000 की राही वन्यप्राणी संरक्षण हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	4,60,000

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4572 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 4500 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1–3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4–5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	4272
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, औंवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4500
कुल			9072
<input checked="" type="checkbox"/> वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन			

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**36. Case No 11254/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Chapna Sand Quarry in an area of 15.00 ha. (216000 cum per year) (Khasra No. 11), Village-Chapna, Tehsil-Vijayraghavgarh, District-Katni (MP)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सुशील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार, ऑन लाईन, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति ) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेसा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 11 ( ग्रामीण भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 15.00 हे.
स्थल	ग्राम – चपना, तहसील – विजय राजगढ़ , जिला – कटनी, म.प्र.	

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नया प्रोजेक्ट।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये।
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम–चपना रेत खदान, दिनांक– 25 / 12 / 2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा चपना रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 2,16,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 2,16,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2174 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं (01) ग्राम सुड़डी रेत खदान, तहसील–बडवारा जिसका खसरा क्र 1419, रकबा 10.00 है. तथा (02) ग्राम घुघरी रेत खदान, तहसील–विजयराघवगढ़ जिसका खसरा क्र. 122, रकबा 8.03 है. हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2174 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2174 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	बसाहटा/भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन फ़िल क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/ नाला नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुडेहा जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07 दिनांक 16/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थिल नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	महानदी नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-29 के सरल क्रमांक-40 एवं पेज नं.-61 के सरल क्रमांक 34 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03/04/2024, को संपन्न हुई ।  आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डुबा हुआ है साथ ही नदी के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद खनन योग्य उत्थनन क्षेत्र 9.58 है. है उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 2.4 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 2,16,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन क्षेत्र 9.

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

58 हे. में अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 2,16,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे रिथल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 22.65 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 9.86 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<b>PLANTATION SCHEME</b>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(4710X150= ₹7,06,500)	11,81,500 1,18,150

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.  c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(300X500= ₹ 1,50,000)  (6500X50 = ₹ 3,25,000)		
<b>4</b>	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (100 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	1,00,000	
<b>5</b>	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)  Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000	
<b>6</b>	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 115	1,20,000	20,000	
<b>7</b>	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000	
<b>8</b>	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000	
<b>9</b>	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 115 Labors -115× 500 × 2)	-	1,15,000	
<b>10</b>	First Aid Box &Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000	
<b>11</b>	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 115 workers - 115 × 1500)	1,72,500	25,000	
<b>12</b>	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000	
<b>13</b>	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000	
<b>14</b>	Miscellaneous Expenses such as follows:  One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000	
<b>15</b>	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a	6,000		

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

	source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		
<b>16</b>	Provide 2,50,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint and distribution of LED Bulb	2,50,000	2,50,000
	<b>Total</b>	<b>22,65,000/-</b>	<b>9,86,150/-</b>

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार रा० । रा० 4,40,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	रा० । (रु.में)
खेर माई माता मंदिर, चपना के पास शौचालय एवं हैण्डपम्प का निर्माण	1,00,000
ग्राम चपना में रोड लाईट के लिए ।	40,000
चपना ग्राम के आंगनवाड़ी अधोसंरचना विकास के लिए राशि प्रदान की जावेगी	50,000
ग्राम चपना के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,50,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति चपना के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,50,000
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1,00,000 की राशि वन्यप्राणी संरक्षण हेतु भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
<b>कुल</b>	<b>4,40,000</b>

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 11700 वृक्षों का वितरण :—

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	4710

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

		4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	300
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	6500
<b>कुल</b>			<b>11510</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्प के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</li> <li>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</li> <li>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।</li> </ul> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

### अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु –

समिति द्वारा आज की बैठक में सेक की पूर्व बैठक 745वीं दिनांक 30/04/2024 में मार्ईनर मिनरल (रेत सहित) बी—2/बी—1 श्रेणी अथवा (डिया) श्रेणी के मार्ईनर मिनरल (गौण खनिज) की प्रोजेक्ट

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

समरी/डाटा शीट एवं टॉर बिन्दुओं में आंशिक संशोधन करने की अनुशंसा की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ परिवेश पोर्टल में प्रस्तुत की जावेगी।

समिति द्वारा निम्न फार्मेट में आंशिक संशोधन कर अनुशंसा की गई है।

1. माईनर मिनरल (डिया प्रकरण सहित) के लिये अतिरिक्त टॉर पाईन्ट अनुमोदित किये गये हैं।
2. रेत सहित अतिरिक्त टॉर पाईन्ट अनुमोदित किये गये हैं।
3. बिल्डिंग कन्सन्ट्रेशन प्रोजेक्ट के लिये टॉर अनुमोदित किये गये हैं।।
4. माईनर मिनरल (गौण खनिज) की प्रोजेक्ट समरी/डाटा शीट अनुमोदित किये गये हैं।

(ए.ए.मिश्रा)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June ) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

## 753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 मई 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

# 753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

## दिनांक 17 मई 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
  - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माइन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
  - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
38. केशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
  - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम. सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
  - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माइन आधारित केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
  - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

### 1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि खामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि खामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्ठका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

### Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on upstream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclaims and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government

## 753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 मई 2024

Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट मार्झिनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

#### Annexure- ‘C’

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the

## 753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 मई 2024

allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.

17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - p. Minalble Potential of sand mine.
  - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of

# 753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

## दिनांक 17 मई 2024

tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

### Annexure- 'D'

#### General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MoEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).

**753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 17 मई 2024**

31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charaghah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
  - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

# 753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

## दिनांक 17 मई 2024

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन मे स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान मे रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय मे रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, कैचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मलिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निराई-गुडाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेसिङ/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें।

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निराई-गुडाई, थाला (1.5 मी.गोलाई मे)		
	तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

**नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुडाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात रोपण।
- अंकुरण पश्चात 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निराई-गुडाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**नोट – 8 :-** रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अंगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियों।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान मे रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा मे 10 से 15 मीटर की चौड़ाई मे हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों मे पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोडा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य मे एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअंगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर
---	--	--

## 753 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 17 मई 2024

		।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवीं, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक धाटो के किनारे स्थिल वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

## Additional TOR points for Minor Minerals -

(In addition to Standard TOR)

1. EIA for Cluster : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared
2. Plantation scheme : Show numbers and species in tabular form
  - A- Government land
    1. In barrier Zone
    2. In non mining area (set back)
    3. Along evacuation route
    4. Other places like School, Panchyat Bhavan, Aganwadi, Tehsil Office, Police Thana, Forest chouki etc.
    5. Distribution to nearby farmers species of Fuel, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal plants.
  - B- In Fodder Land
 

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP
  - C- Private land – fruit bearing plant or as P.P wants desire.
  - D- Seed sowing in garland drain and periphery of mine with local seeds of soil binding nature.
3. Set Back – Show setback in surface plan with legend as well as set back area as per the case, according to present rules (NGT/CPCB guidelines)
 

1. Dammar Road	14. Forest boundary /Revenue Forests
2. Village Road	15. Wildlife area /NP/WLS
3. कच्ची सड़क (WBM)	16. ESZ area
4. Haulage road	17. Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km in length having more then 2-3 hillock ranges for landscape perspective.



5. Railway line
6. Wind mills
7. Agriculture land
8. Natural drainage
9. Nala/ river
10. Habitation,
11. Wells, Temples
- 12 Other structures
13. Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils and W.L. Niche/Archaeological Site if any.
4. **For blasting or for non blasting:** If mine lease area within-
  1. 250 m. of forest land
  2. ESZ areas , Buffer area
  3. If private land : Own/Agreement
    1. OWN
    2. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
    3. Cost benefit ratio
  4. If grass land : grass land development & maintenance
  5. Catchment of the major river & its protection plan.
5. **If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt,**
  - Ecosystem loss studies & remedial plan

- Eco service studies
- Wildlife conservation plan
- Protection plan
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- Excavation as per mining plan
- CER activities: Certificate and photograph
- Old production ( showing on surface plan)
- Dump areas

(A) If – Crusher & M-sand plantis in mining area

Surface plan includes ( if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
2. Barrier area zone
3. Set back for sensitiveness
4. Garlanding drain
5. Settling tank with sizes according to water surface plan
6. Crusher area /M.sand plant / Slurry
7. Dumping area year wise
8. Green area /Barrier area & in non-mining area
9. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) **If crusher is outside of mines**

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. **SITE VISIT REQUIREMENTS :**

**Consultant must visit the site for B<sub>1</sub> and B<sub>2</sub> areas both: Following information/data is required to be collected during site visit**

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources

5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

## **8. Regarding Public hearing**

- 1 . Names of villages around the mines area.
- 2 Village wise presence of people
- 3 Photograph
- 4 Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
- 5 Public interest works to be mentioned in CER ac activities
- 6 Distance from mines area in the following public places

1. Habitation
2. School
3. Health centre
4. other public places
5. any sensitive area (men made structure / natural)

## **9. CER Activities**

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

## **10. EMP as proposed in tabular form**

## **11. Mining Activity.**

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all PESA related requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Compliance of plantation, fencing, garlanding drain ,settling tank according to given EC.

(C ) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on surface map
- slurry management
- Water requirement : Quantity & source

(D) If excavation route lies on private land

the permission of land owner for transportation.

(E) Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values subject to production.

1. Stone -  $10,000 \text{ m}^3/\text{yr}$  with crusher,  $15000 \text{ m}^3/\text{yr}$  without crusher
2. murum-  $20,000 \text{ m}^3/\text{yr}$
3. Clay –  $30,000 \text{ m}^3/\text{yr}$  with kiln & chimney

(F) Soil profile Not less then 3 pits per ha. with.

## **12. Miscellaneous**

(A) Provision of Fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m<sup>3</sup>/yr then provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

(B) De-watering plan if old pit is filled with water & use of water –

(C) In case of any change in method of mining, or change of surface plan due to any sensitive features Approval from concern Mining officer

(D) If there is difference in geo coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR, then approved geo-coordinate to be submitted as approved by Mining Officer of concerned district.

**Member  
(SEAC)**

**Chairman  
(SEAC)**